उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ – 226001
हेल्पलाइन नम्बर : 8400955546, +91–9151024463
Website:www.upsmfac.org Email-upmedicalfaculty@upsmfac.org

पत्रांक संख्या–8796/25 दिनांक 14.10.25

अति महत्वपूर्ण / उच्च प्राथमिकता

सेवा में,

प्रबंधक / प्रधानाचार्य,
समस्त नर्सिंग (ए0एन0एम0 प्रशिक्षण) एवं
समस्त पैरामेडिकल प्रशिक्षण केन्द्र (निजी क्षेत्र)
उत्तर प्रदेश।

विषय–नर्सिंग (ए0एन0एम0 प्रशिक्षण) / पैरामेडिकल डिप्लोमा (डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन / डिप्लोमा इन एक्स–रे टेक्नीशियन / डिप्लोमा इन रेडियोथिरेपी टेक्नीशियन एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी सहित) – निजी क्षेत्र के प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2025–26 के नवप्रवेशित अभ्यर्थियों के ऑन–लाइन इनरोलमेन्ट के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय / महोदया,

आपको सूचित करना है कि प्रशिक्षण **सत्र 2025–26** में नर्सिंग (ए0एन0एम0 प्रशिक्षण) एवं पैरामेडिकल डिप्लोमा (डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन / डिप्लोमा इन एक्स–रे टेक्नीशियन / डिप्लोमा इन रेडियोथिरेपी टेक्नीशियन एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी सहित)–निजी क्षेत्र के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेशित अभ्यर्थियों के संबंध में निम्नलिखित दिशा–निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये –

1. इनरोलमेंट पैनल दिनांक **31.10.2025** तक ऑन–लाइन इनरोलमेंट हेतु खोला जायेगा। जिस पर आपके सेन्टर लॉग–इन पैनल द्वारा कार्यालय की वेबसाइट **www.upsmfac.org** पर दिनांक **31.10.2025** तक किये जा सकेंगे।

2. 1. ए0एन0एम0 प्रशिक्षण हेतु अर्हता भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली के दिशा–निर्देशानुसार (छायाप्रति सलंग्न)।

2. पैरामेडिकल डिप्लोमा प्रशिक्षणों की अर्हता इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान / गणित) से उत्तीर्ण।

नोटः–प्रशिक्षण हेतु अनुमन्य सभी विषयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही प्रवेशित एवं इनरोल्ड करें। सम्बन्धित बोर्ड के अंक–प्रत्र / प्रमाण–पत्र में दर्शित The Pass Mark for Each Subject is .....%, FT (Fail in Theory), RT (Repeat in Theory), Grade E (Essential Repeat) एवं SYC/SYCT इत्यादि अंकित Abbreviations **को प्रवेशित / इनरोल्ड न करें।**

........02

3. अभ्यर्थियों द्वारा उत्तीर्ण इण्टरमीडिएट परीक्षा **उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् प्रयागराज के समकक्ष/समतुल्य** उत्तीर्ण होनी चाहिए। जिसकी सूची इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। समकक्ष/समतुल्य ना होने की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा एंव जिसका समस्त उत्तरदायित्व प्रशिक्षण केन्द्र/अभ्यर्थी का ही होगा।

4. ऑन–लाइन इनरोलमेंट हेतु शैक्षिक प्रमाण–पत्रों (हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के रंगीन सर्टिफिकेट जो स्पष्ट पठनीय हों) एवं प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित छात्र/छात्राओं के फोटो एवं हस्ताक्षर ब्लॉक में आवश्यक रूप से अपलोड किये जायें।

5. नवप्रवेशित छात्र/छात्राओं के इनरोलमेंट करते समय सावधानी पूर्वक सभी वांछित सूचनाओं को भरें, ताकि किसी भी तरह की त्रुटि की संभावना न रहे।

6. नर्सिंग/पैरामेडिकल हेतु न्यूनतम आयु **31.12.2025** तक 17 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।

7. आपके द्वारा सत्र 2025–26 के समस्त नवप्रवेशित/इनरोल्ड (नामांकित) अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों निर्धारित विषय, बोर्ड की समकक्षता (माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0, प्रयागराज) मानकानुसार एवं जन्मतिथि का सत्यापन आप अपने स्तर से स्वयं करें। शैक्षिक प्रमाण पत्रों के मिलान में किसी भी प्रकार की त्रुटि या हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा के बोर्ड फर्जी (फेक) पाए जाते हैं तो उसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्थान का ही होगा।

8. ऐसे अभ्यर्थी जो उपरोक्त अर्हताओं को पूर्ण नहीं करते हैं, का इनरोलमेंट सम्बन्धी किसी भी दशा में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे एवं उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमियाँ पायी जाती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं संस्थान की होगी। उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के इनरोल्ड पैनल पर संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये गये इनरोल्ड डाटा को ही सही मानकर प्रशिक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

9. **नर्सिंग डिप्लोमा (जी0एन0एम0 पाठ्यक्रम) एवं पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (शासकीय क्षेत्र) के काउंसलिंग के माध्यम से चयनित/प्रवेशित अभ्यर्थियों के इनरोलमेंट हेतु पृथक से दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगे।** केन्द्रीयकृत प्रवेश परीक्षा तथा काउंसलिंग नर्सिंग डिप्लोमा (जी0एन0एम0 पाठ्यक्रम) की UPGET 2025-26 एवं पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (शासकीय क्षेत्र) की काउंसलिंग CPSP 2025-26 द्वारा किये गये प्रवेश ही मान्य होंगे। प्रशिक्षण संस्थान अपने स्तर से किसी भी दशा में प्रवेश न लें। यदि प्रशिक्षण संस्थान के स्तर से शैक्षणिक सत्र 2025–26 में उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया जाता है तो उसे शून्य माना जायेगा एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्त दिये गये दिशा–निर्देशों एवं नियमों का अनुपालन न कर इनरोल्ड किये जाने पर संस्थानों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जायेगी एवं अभ्यर्थी का प्रशिक्षण के दौरान अथवा प्रशिक्षण समाप्त हो जाने के पश्चात् भी अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

भवदीय,

Link for Enrollment (August-2026):

https://enrollment.upsmfac.org/Secure/Login/frm_Login.aspx

(डा0 अनुराग श्रीवास्तव)
सचिव।

Eligibility Criteria

Revised from 2012-13 Academic year

A. N. M.

- The minimum age for admission shall be 17 years on or before 31st December of the year in which admission is sought.
- The maximum age for admission shall be 35 years.
- The minimum educational requirements shall be 10 + 2 in Arts (Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Biotechnology, Economics, Political Science, History, Geography, Business Studies, Accountancy, Home Science, Sociology, Psychology, and Philosophy) and English Core/English Elective or Science or Health care Science - Vocational stream ONLY passing out from recognized Board.
- Student shall be medically fit.
- Students qualified in 10+2 Arts or Science examination conducted by National Institute of Open School.
- Student shall be admitted once in a year.